-प्रेस नोट-

दिनांकः **05.08.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा नाबालिक बच्चे के साथ कुकर्म के मुकदमें में वांछित बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.25 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. जतिन पुत्र सोनू निवासी इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर व 2. नितिन पुत्र बबलू निवासी इन्द्राकैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र के साथ गलत काम करने की सूचना के सम्बन्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 79/2025 धारा 5M/6/18 पोक्सो अधिनियम के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक को0नगर श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वाँछित चल रहे बाल अपराची को लिंक रोड से संरक्षण में लिया गया। संरक्षण में लिए गये बाल अपचारी के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया –

बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 907 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. का0 1354 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर। (सादे वास्त्रो में)

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत कुल 10 लावारिस वाहनों की नीलामी करायी गई, जिससे कुल 35,400/-रूपये की धनराशि (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर में वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक के खडे कुल 10 लावारिस वाहनों की नीलामी क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, नायाब तहसीलदार सदर, निरीक्षक टेक्निकल (आर0टी0ओ0 कार्यालय) तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर की देख रेख में नीलामी आरम्भ की गयी जिसमे कुल 26 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया नीलामी की न्यूनतम सरकारी बोली 23,300/- रू0 रखी गयी। कुल 10 (दोपहिया) वाहनों की नीलामी 30,000/- रू0 मे सर्वाधिक बोली दाता तस्लीम उर्फ दिल्लू पुत्र शरीफ निवासी लोहानी सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा बोली गयी। दूसरे नम्बर पर मौ0 सरताज पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा 29,900/- बोली गयी। नीलामी की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 7500/-रु0 जमा किया गया। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी०एस०टी० के साथ कुल धनराशि 35,400/-रू0 राजकोष में जमा की जायेगी।

नीलामी हुए वाहनों का विवरणः-

- 10 (दोपहिया)

नीलामी कराने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री अशोक कुमार सिसौदिया क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर।
2. श्री मुकुल सागर नायाब तहसीलदार सदर सहारनपुर।
3. श्री रोहित कुमार सिंह निरीक्षक टैक्निकल आरटीओ कार्यालय सहारनपुर।
4. श्री सुनील नागर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
5. श्री सिराजुदीन अतिरिक्त निरीक्षक थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
6. हैड मोहर्रिर 977 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
7. कां0 1244 मोहित मान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **05.08.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ ई-रिक्शा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजन/लूट/छिनैती आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.08.2025 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग के दौरान बसेडा हाईवे पुल के नीचे से 02 अभियुक्तगण **1.आदिल पुत्र शब्बीर अहमद निवासी मौहल्ला बढी तरफ ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर 2.इस्तखार पुत्र मंगता अंसारी निवासी मौहल्ला फूस वाली मस्जिद ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की गयी ई-रिक्शा बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0 213/25 धारा 317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग नशे के आदि है। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये चोरी करते है। जो रिक्शा आज हमसे बरामद हुयी है। वह रिक्शा हमने ग्राम ताहरपुर से चोरी की थी और आज हम इसे बेचने के लिये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. आदिल पुत्र शब्बीर अहमद निवासी मौहल्ला बढी तरफ ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात स0पुर।
2. इस्तखार पुत्र मंगता अंसारी निवासी मौहल्ला फूस वाली मस्जिद ग्राम शेखपुरा कदीम थाना कोतवाली देहात स0पुर।

अभियुक्त आदिल का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 400/18 धारा 376/323/506 भादवि 3/4/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात।
2. मु0अ0सं0 199/22 धारा 279/337/338 भादवि थाना कोतवाली देहात।
3. मु0अ0सं0 334/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात।

अभियुक्त इस्तखार का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 334/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 उ0नि0 यशपाल सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 महेश चन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. है0का0 1006 तरुण त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर।
5. है0का0 936 रविन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः **05.08.2025**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानजनक रील बनाने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस गस्त कर रही थी जैसे ही अम्बाला रोड पर बैक के सामने गस्त करते हुए पहुँचे तो 02 व्यक्ति मोबाईल पर रील बनाने के लेकर जनता के व्यक्तियों से आमदा फसाद हो रहे थे। हम पुलिस वालो ने अभियुक्तगण को काफी समझाया लेकिन नही माने ओर मारपीट पर उतारू हो रहे थे जिनको शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दोनो अभियुक्तगण **1.सलीम अहमद पुत्र अब्दुल बासित निवासी गली नं0 02 लिंक रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2. अली पुत्र जुनैद निवासी मौहल्ला चरबरबाजदारान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.सलीम अहमद पुत्र अब्दुल बासित निवासी गली नं0 02 लिंक रोड थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।

2.अली पुत्र जुनैद निवासी मौहल्ला चरबरबाजदारान थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1826 मोनू थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।